न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 182/2024

प्रार्थिनीः—

उमगदेवी उर्फ उगी पुत्री गणेशा पत्नी मसराराम जाति पुरोहित निवासी नाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री गौतमसिंह व कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थिनी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 5.8032, 0.0243 व 0.0643 हैक्टेयर भूमि धीरा, खसरा संख्या 421 रकबा 0.7851 हैक्टेयर भूमि ग्राम महादेवनगर व खसरा संख्या 210 रकबा 3.2213 हैक्टेयर ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड व राशनकार्ड, आदि में उसका वास्तविक नाम " उगमीदेवी पत्नी मसराराम " दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम "उगी पुत्री गणेशा" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1771 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थिनी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज [illegible] पच[illegible] धीरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशनकार्ड की प्रति पेश कि[illegible]।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थिनी का वास्तविक नाम "उगमदेवी पत्नी मसराराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 5.8032, 0.0243 व 0.0643 हैक्टेयर भूमि धीरा, खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

421 रकबा 0.7851 हैक्टेयर भूमि ग्राम महादेवनगर व खसरा संख्या 210 रकबा 3.2213 हैक्टेयर ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना में प्रार्थिनी का नाम ''उगी पुत्री गणेशाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी आधार कार्ड व परिवार राशनकार्ड व ग्राम पंचायत धीरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेजात में प्रार्थिनी का नाम ''उगमीदेवी पुत्री गणेशाराम'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थिनी का नाम ''उगी पुत्री गणेशा'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 5.8032, 0.0243 व 0.0643 हैक्टेयर भूमि धीरा, खसरा संख्या 421 रकबा 0.7851 हैक्टेयर भूमि ग्राम महादेवनगर व खसरा संख्या 210 रकबा 3.2213 हैक्टेयर ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थिनी का नाम ''उगी पुत्री गणेशाराम'' के स्थान पर ''उगमदेवी उर्फ उगी पुत्री गणेशाराम '' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested